रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 469] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 25, 2007/वैशाख 5, 1929
No. 469] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 25, 2007/VAISAKHA 5, 1929

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2007

का.आ. 647(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

श्री जय प्रकाश सिंह, अध्यक्ष, बिहार जन अधिवक्ता सघर्ष मंच, बिहार, पटना द्वारा राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन श्री राम कृपाल यादव, संसद् सदस्य (लोक सभा) की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न उठाते हुए तारीख 24 मार्च, 2006 की एक याचिका प्रस्तुत की गई है;

और उक्त याची ने यह प्रकथन किया है कि श्री राम कृपाल यादव मई, 2004 में पटना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ते समय अध्यक्ष, बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड, बिहार का पद धारण कर रहे थे और वे पिछले कई वर्षों से उक्त पद धारण कर रहे हैं और उन्होंने 22 मार्च, 2006 को उक्त पद से त्यागपत्र दिया था;

और उक्त याची ने यह दलील दी है कि उक्त पद सरकार के अधीन लाभ का पद है और इसलिए श्री राम कृपाल यादव संसद् सदस्य (लोक सभा) होने के लिए निरर्हित हो गए हैं;

और राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2) के अधीन तारीख 30 मार्च, 2006 के एक निदेश द्वारा इस प्रश्न के बारे में निर्वाचन आयोग की राय मांगी है कि क्या श्री राम कृपाल यादव

संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन संसद् सदस्य (लोक सभा) बने रहने के लिए निरर्हता के अध्यधीन हो गए हैं;

और निर्वाचन आयोग ने यह नोट किया है कि श्री राम कृपाल यादव को 30 जून, 2003 को अंतिम बार न्यास के अध्यक्ष के रुप में नियुक्त किया गया था, जोकि मई, 2004 में उनके लोक सभा के लिए निर्वाचन से काफी समय पूर्व था और इस प्रकार याची द्वारा उठाया गया प्रश्न, यदि कोई निरर्हता उपगत की गई है तो, निर्वाचन पूर्व निरर्हता का प्रश्न है;

और निर्वाचन आयोग ने अपनी राय (उपाबंध द्वारा) दे दी है कि श्री राम कृपाल यादव की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न निर्वाचन पूर्व निरर्हता का मामला होने के कारण, यदि कोई निरर्हता आकर्षित हुई भी है तो अभिकथित निरर्हता के प्रश्न को संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन राष्ट्रपति के समक्ष नहीं उठाया जा सकता और इसलिए, यह याचिका चलने योग्य नहीं है;

अतः, अब, मैं, आ० प० जे० अब्दुल कलाम, भारत का राष्ट्रपति, यह अभिनिर्धारित करता हूं कि ऊपर उल्लिखित याचिका संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन चलने योग्य नहीं है ।

10 अप्रैल, 2007

भारत का राष्ट्रपति

[फा. सं एच-11026(6)/2007-वि. II]

डॉ. ब्रह्म अवतार अग्रवाल, अपर सचिव

उपाबंध

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन
अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

2006 का निर्देश मामला सं. 28

[संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन राष्ट्रपति से निर्देश]

निर्देश :

भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन लोक सभा के आसीन सदस्य श्री राम कृपाल यादव की अभिकथित निरर्हता ।

राय

यह भारत के राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन तारीख 30 मार्च, 2006 का एक निर्देश है, जिसमें श्री राम कृपाल यादव (प्रत्यर्थी), लोक सभा के आसीन सदस्य की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है ।

2. उपरोक्त प्रश्न, श्री जय प्रकाश सिंह, अध्यक्ष, बिहार जन अधिवक्ता संघर्ष मंच, बिहार, पटना की राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन प्रस्तुत तारीख 24 मार्च, 2006 की एक याचिका से उद्भूत हुआ है, जिसमें मई, 2004 में लोक सभा के लिए निर्वाचित श्री राम कृपाल यादव की भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन लोक सभा का सदस्य होने के लिए अभिकथित निरर्हता के प्रश्न को इस आधार पर उठाया गया है कि वे पटना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ते समय अध्यक्ष, बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड, बिहार का पद धारण कर रहे थे । याची ने यह कथन किया कि प्रत्यर्थी पिछले कई वर्ष से यह पद धारण कर रहा था और उसने उक्त पद से 22.03.2006 को त्यागपत्र दिया है । याची ने यह दलील दी कि उक्त पद सरकार के अधीन एक लाभ का पद है और इसलिए प्रत्यर्थी लोक सभा का सदस्य होने के लिए निरर्हित है । तथापि, याचिका में इस प्रकार का कोई प्रकथन अंतर्विष्ट नहीं था कि प्रत्यर्थी को उक्त पद पर, 2004 में लोक सभा के लिए उसके निर्वाचन के पश्चात् किसी समय नियुक्त किया गया था ।

3. श्री जय प्रकाश सिंह की याचिका के साथ उनकी इस दलील के समर्थन में कोई दस्तावेज नहीं लगा था कि वह पद, जिस पर प्रत्यर्थी को नियुक्त किया गया था, सरकार के अधीन एक लाभ का पद था । याचिका में प्रत्यर्थी की, याचिका में निर्दिष्ट पद पर नियुक्ति की तारीख के संबंध में आधारिक जानकारी भी नहीं थी । किसी सदस्य की किसी पद पर नियुक्ति की तारीख यह अवधारण करने के लिए अति महत्वपूर्ण है कि क्या वह मामला अनुच्छेद 103(1) के निबंधनों के अनुसार विनिश्चय हेतु राष्ट्रपति की अधिकारिता के अंतर्गत आता है । उच्चतम न्यायालय के अनेक निर्णयों [निर्वाचन आयोग बनाम सका वेंकटा राव (एआईआर 1953 एससी 201); बृंदाबन नायक बनाम निर्वाचन आयोग (एआईआर 1965 एससी 1892); निर्वाचन आयोग बनाम एन.जी. रंगा (एआईआर 1978 एससी 1609)] द्वारा यह सुस्थापित है कि संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन राष्ट्रपति और निर्वाचन आयोग संसद के केवल ऐसे पदों के प्रश्नों के संबंध में जांच कर सकते हैं जिन पर संसद सदस्यों की नियुक्ति उनके ऐसे सदस्यों के रूप में निर्वाचन के पश्चात् की जाती है । अतः याची से, आयोग की तारीख 13 अप्रैल, 2006 की सूचना द्वारा यह अनुरोध किया गया था कि वह 5 मई, 2006 तक इस संबंध में विनिर्दिष्ट सूचना प्रस्तुत करे ।

4. तथापि, याची ने काफी लंबे समय तक आयोग की सूचना के अनुसरण में कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की । अतः आयोग ने विनिर्दिष्ट ब्यौरे बिहार राज्य सरकार से प्राप्त करने का विनिश्चय किया और तदनुसार 14 जून, 2006 को उन्हें अपेक्षित ब्यौरे तथा प्रत्यर्थी की उक्त पद पर नियुक्ति से संबंधित दस्तावेजों को 28 जून, 2006 तक प्रस्तुत करने के लिए पत्र लिखा । अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए समय को 25 अगस्त, 2006 तक विस्तारित किया गया था ।

5. इसी दौरान, 1959 के मूल अधिनियम का संशोधन करने के लिए संसद् (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 संसद् द्वारा अधिनियमित किया गया और उसे राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात् 18.08.2006 को अधिसूचित किया गया । इस संशोधन अधिनियम की एक प्रति 21.08.2006 को विधि और न्याय मंत्रालय से प्राप्त हुई थी । संशोधन अधिनियम द्वारा, अन्य पदों के साथ-साथ बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के, जो बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 (1951 का बिहार अधिनियम संख्यांक 1) के अधीन गठित एक निकाय है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव या सदस्य (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो) के पदों को मूल अधिनियम की धारा 3 (ट) के अधीन एक ऐसे पद के रूप में घोषित किया गया है, जिसका धारक संसद् सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित नहीं होगा । मूल अधिनियम के इस संशोधन को 4 अप्रैल, 1959 से भूतलक्षी प्रभाव देते हुए प्रवृत्त किया गया है ।

6. तथापि जहां तक इस कार्यालय का संबंध है, 1959 के मूल अधिनियम और 2006 के संशोधन अधिनियम के बीच एक असंगति पाई गई थी । संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 (मूल अधिनियम) की अनुसूची के भाग 2 में "राज्य सरकारों के अधीन निकाय" शीर्ष के अधीन "बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड" प्रविष्टि के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 के खंड (झ) के अनुसार, बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष के पद को संसद सदस्य होने के लिए निरर्हता से छूट प्राप्त नहीं है ।

हालांकि संसद (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 द्वारा अंतःस्थापित सारणी के क्रम संख्यांक 33 की प्रविष्टि के साथ पठित उक्त धारा 3 के खंड (ट) के अनुसार, इस पद को संसद की सदस्यता के लिए निरर्हता से छूट प्राप्त है और उस पद को धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को कभी भी इस प्रकार निरर्हित नहीं माना जाएगा ।

7. समान पद से संबंधित समान अधिनियम के उपबंधों में ऐसी स्पष्ट असंगति को देखते हुए, प्रत्यर्थी को 1.11.2006 को एक सूचना जारी की गई थी कि वह उसकी अभिकथित निरर्हता के प्रश्न को उठाने वाली याचिका और 1959 के अधिनियम से संलग्न अनुसूची और सारणी की सुसंगत प्रविष्टियों के साथ पठित धारा 3(झ) और धारा 3(ट) के परस्पर विरोधी उपबंधों के संबंध में 24.11.2006 तक अपना लिखित कथन फाइल करे ।

8. प्रत्यर्थी ने अपने लिखित कथनों में यह कथन किया कि 2006 के संशोधन अधिनियम द्वारा अंतःस्थापित सारणी के क्रम संख्यांक 33 की प्रविष्टि के साथ पठित धारा 3 के खंड (ट) द्वारा 1959 के मूल अधिनियम के संशोधन को देखते हुए बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1960 के अधीन गठित एक निकाय, के अध्यक्ष के पद को संसद का सदस्य होने के लिए निरर्हता से छूट प्रदान की गई है और इसलिए याचिका चलने योग्य नहीं है । उसने यह और कथन किया कि उसने पद से कोई पारिश्रमिक या आर्थिक फायदे आहरित नहीं किए हैं । इसके अतिरिक्त, बिहार सरकार के विधि (न्याय) विभाग द्वारा न्यास को पुनः गठित करने के लिए 30 जून, 2003 को जारी की गई अधिसूचना के, जिसे प्रत्यर्थी के लिखित कथन के साथ संलग्न किया गया था, अवलोकन पर यह पाया गया कि प्रत्यर्थी को अंतिम बार न्यास का अध्यक्ष 30.6.2003 को नियुक्त किया गया था, जोकि मई, 2004 में लोक सभा के लिए उसके निर्वाचन से काफी समय पूर्व था । इस प्रकार याची द्वारा उठाया गया प्रश्न, प्रत्यर्थी की एक निर्वाचन पूर्व निरर्हता, यदि कोई है, का मामला है । तथापि, चूंकि प्रत्यर्थी ने यह उल्लेख नहीं किया था कि उसने अपने लिखित कथनों की एक प्रति की तामील याची को की है अथवा नहीं, इसलिए यह विनिश्चय किया गया था कि उसके लिखित कथनों की एक प्रति याची को, उसके द्वारा 29.12.2006 तक प्रत्युत्तर, यदि कोई हो, फाइल किए जाने के लिए अग्रेषित की जाए । याची द्वारा कोई प्रत्युत्तर फाइल नहीं किया गया है ।

9. इस प्रकार यह देखा गया है कि प्रश्नगत पद पर प्रत्यर्थी की नियुक्ति 2004 में लोक सभा के सदस्य के रूप में उसके निर्वाचन से पूर्व की गई थी । ऊपर पैरा 3 में निर्दिष्ट सुस्थापित सांविधानिक स्थिति को देखते हुए, श्री राम कृपाल यादव की निरर्हता के प्रश्न को, जोकि यदि कोई निरर्हता उपगत की गई है तो एक निर्वाचन पूर्व निरर्हता का मामला है, संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन राष्ट्रपति के समक्ष नहीं उठाया जा सकता । निर्वाचन आयोग के पास भी ऐसी अभिकथित निर्वाचन पूर्व निरर्हता के प्रश्न पर अपनी राय व्यक्त करने की कोई अधिकारिता नहीं है । निर्वाचन पूर्व निरर्हता, अर्थात् निर्वाचन की तारीख को या उससे पूर्व विद्यमान निरर्हता के मामलों को संविधान के अनुच्छेद 329(ख) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के भाग 6 के अधीन संबंधित उच्च न्यायालय के समक्ष ही उठाया जा सकता है, न कि अनुच्छेद 103(1) के अधीन राष्ट्रपति के समक्ष । अतः, वर्तमान याचिका संविधान के अनुच्छेद 103(1) के निबंधनों के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष चलने योग्य नहीं है । उपर्युक्त को देखते हुए, आयोग से ऊपर पैरा 6 में निर्दिष्ट 1959 के मूल अधिनियम की धारा 3 के खंड (झ) और 2006 में यथासंशोधित उस धारा 3 के खंड (ट) के उपबंधों के बीच असंगति के संबंध में विचार करना अपेक्षित नहीं है । यह संघ के विधि और न्याय मंत्रालय का कार्य है कि वह उस मामले की जांच करे और यदि आवश्यक हो तो विधि का संशोधन करके विवाद का समाधान करे ।

10. तदनुसार, वर्तमान मामले में राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश को संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन भारत निर्वाचन आयोग की उपरोक्त आशय की राय के साथ वापस भेजा जाता है कि यह संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन चलने योग्य नहीं है ।

ह./-	ह./-	ह./-
(एस.वाई. कुरेशी)	(एन. गोपालस्वामी)	(नवीन बी. चावला)
निर्वाचन आयुक्त	मुख्य निर्वाचन आयुक्त	निर्वाचन आयुक्त

तारीख : 7 फरवरी, 2007
स्थान : नई दिल्ली

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2007

S.O. 647(E),—The following Order made by the President is published for general information :—

10th April, 2007

ORDER

Whereas a petition dated the 24th March, 2006 raising the question of alleged disqualification of Shri Ram Kripal Yadav, a Member of Parliament (Lok Sabha) under clause (1) of article 103 of the Constitution has been submitted to the President by Shri Jai Prakash Singh, President, Bihar Jan Adhivakta Sangharsh Manch, Bihar, Patna;

And whereas the said petitioner has averred that Shri Ram Kripal Yadav was holding the office of the Chairman, Bihar Religious Trust Board, Bihar while contesting the election from Patna Parliamentary Constituency in May, 2004 and he has been holding the said office for the last several years and resigned from the said post on the 22nd March, 2006;

And whereas the said petitioner has contended that the said office is an office of profit under the Government and hence Shri Ram Kripal Yadav stands disqualified for being a Member of Parliament (Lok Sabha);

And whereas the opinion of the Election Commission has been sought by the President under a reference dated the 30th March, 2006 under clause (2) of article 103 of the Constitution on the question as to whether Shri Ram Kripal Yadav has become subject to disqualification for being a Member of Parliament (Lok Sabha) under sub-clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution;

And whereas the Election Commission has noted that Shri Ram Kripal Yadav was last appointed as the Chairman of the Trust from the 30th June, 2003, which was well before his election to the Lok Sabha in May, 2004 and thus the question raised by the petitioner is a question of pre-election disqualification, if at all any disqualification is attracted;

And whereas the Election Commission has given its opinion (*vide* Annex) that the question of alleged disqualification of Shri Ram Kripal Yadav, being a case of pre-election disqualification, if at all any

disqualification is attracted, cannot be raised before the President under clause (1) of article 103 of the Constitution and, therefore, the petition is not maintainable;

Now, therefore, I, A.P.J. Abdul Kalam, President of India, do hereby hold that the above-mentioned petition is not maintainable under clause (1) of article 103 of the Constitution.

10th April, 2007

President of India

[F. No. H-11026(6)/2007-Leg. II]

Dr. BRAHM AVTAR AGRAWAL, Addl. Secy.

ANNEX

Election Commission of India

NIRVACHAN SADAN

ASHOKA ROAD, NEW DELHI - 110 001

Reference Case No. 28 of 2006

[Reference from the President of India under Article 103(2) of the Constitution of India]

In *re*: Alleged disqualification of Shri Ram Kripal Yadav, a sitting member of the Lok Sabha, under Article 102(1)(a)) of the Constitution of India.

OPINION

This is a reference dated 30th March, 2006, from the President of India, seeking the opinion of the Election Commission under Article 103(2) of the Constitution of India, on the question of alleged disqualification of Shri Ram Kripal Yadav (Respondent), a sitting member of the Lok Sabha, under Article 102(1)(a) of the Constitution of India.

2. The above question arose on the petition dated 24th March, 2006, submitted by Shri Jai Prakash Singh, President, Bihar Jan Adhivakta Sangharsh Manch, Bihar, Patna, to the President of India, under Article 103(1) of the Constitution, raising the question of alleged disqualification of Shri Ram Kripal Yadav, elected to the Lok Sabha in May 2004, for being a member of the Lok Sabha under sub-clause (a) of clause (1) of Article 102 of the Constitution of India, on the ground that he was holding the office of the Chairman, Bihar

Religious Trust Board, Bihar while contesting the election from Patna parliamentary constituency. The petitioner stated that the respondent was holding the office for last several years and resigned from the said post on 22.03.2006. The petitioner has contended that the said office is an office of profit under the Government and hence the respondent stands disqualified for being a member of the Lok Sabha. The petition, however, did not contain any averment, whatsoever, that the respondent was appointed to the said post at any point of time after his election to the Lok Sabha in 2004.

3. The petition of Sh. Jai Prakash Singh was also not accompanied by any document in support of his contention that the office to which the respondent had been appointed was an office of profit under the Government. The petition did not even contain the basic information about the date of appointment of the respondent to the office referred to in the petition. The date of appointment of a Member to an office is vital to determine whether the case falls within the jurisdiction of the President to decide in terms of Article 103 (1). It is well settled by a catena of decisions of the Supreme Court {see Election Commission Vs. Saka Venkata Rao (AIR 1953 SC 201); Brundaban Naik Vs. Election Commission (AIR 1965 SC 1892); Election Commission Vs. N.G.Ranga (AIR 1978 SC 1609)} that under Article 103 of the Constitution, the President and the Election Commission can look into the questions of only those offices to which the Members of Parliament are appointed after their election as such Members. The Petitioner was, therefore, asked vide the Commission's Notice dated 13th April, 2006, to furnish by 5th May, 2006, specific information in that regard.

4. The Petitioner, however, did not furnish any information pursuant to the Commission's Notice for a considerable time. Therefore, the Commission decided to obtain the specific details from the State Govt. of Bihar and accordingly wrote to them on 14th June, 2006 to furnish the requisite details and documents related to the appointment of the respondent to the said office by 28th June, 2006. The time for furnishing the requisite information was extended upto 25th August, 2006.

5. In the meantime, the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2006, amending the Principal Act of 1959, was enacted by the Parliament and notified after the Presidential assent on 18.8.2006. A copy of this Amendment Act was received from the Ministry of Law and Justice on 21.8.2006. By the Amendment Act, the offices of Chairman,

Deputy Chairman, Secretary or Member (by whatever name called), among others, in The Bihar State Board of Religious Trust, a body constituted under the Bihar Hindu Religious Trust Act, 1950 (Bihar Act No.1 of 1951), have been declared under Section 3 (k) of the Principal Act, as the offices the holders whereof shall not be disqualified for being chosen as, and for being Members of Parliament. These amendments to the Principal Act have been brought into force with retrospective effect from 4th April, 1959.

6. However, as far as this office is concerned, an incongruity was noticed between the Principal Act of 1959 and the Amendment Act of 2006. As per Clause (i) of Section 3 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (Principal Act) read with the entry "Bihar State Board of Religious Trusts" under the heading "Bodies under State Governments" in Part –II of the Schedule to the said Act, the office of Chairman, Bihar Religious Trusts Board, is not exempted from disqualification for being a member of the Parliament. Whereas, as per Clause (k) of the said Section 3 read with the entry at serial number 33 in the Table, inserted by the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2006, the office is exempted from disqualification for membership of the Parliament and shall never be deemed to have so disqualified any person for holding that office.

7. In view of such apparent incongruity in the provisions of the same Act relating to the same Office, a notice was issued on 1-11-2006 to the respondent to file his written statement by 24-11-2006 to the petition raising the question of his alleged disqualification and the mutually conflicting provisions of Sections 3(i) and 3(k) read with relevant entries in the Schedule and the Table appended to the 1959 Act.

8. The respondent in his written submissions stated that in view of the amendment to the Parent Act of 1959 by clause (k) of Section 3 read with entry at Serial No.33 of the Table inserted by the Amendment of 2006, the office of the Chairman of Bihar State Board of Religious Trust, a body constituted under Bihar Hindu Religion Act, 1960, has been exempted from disqualification to be a member of Parliament, and therefore, the petition is not maintainable. He further submitted that he has not drawn any remuneration or pecuniary benefit from the office. Further, on perusal of the Notification issued on 30th June, 2003 by the Vidhi (Nyaya) Vibhag of the Govt. of Bihar, to reconstitute the Trust enclosed with the

written statement of the respondent, it transpired that the respondent was last appointed as the Chairman of the Trust from 30-6-2003, which was well before his election to the Lok Sabha in May, 2004. Thus, the question raised by the petitioner is a question of pre-election disqualification, if at all, of the respondent. However, as the respondent did not mention whether he had served a copy of his written submissions on the petitioner, it was decided to forward a copy of his written submission to the petitioner to file rejoinder, if any, by 29-12-2006. No rejoinder has been filed by the petitioner.

9. It is thus seen that the appointment of the respondent to the office in question was made prior to his election as Member of the Lok Sabha in 2004. In view of the well-settled constitutional position, referred to above, in paragraph 3, the question of the alleged disqualification of Shri Ram Kripal Yadav, being a case of pre-election disqualification, if at all any disqualification is attracted, cannot be raised before the President under Article 103(1) of the Constitution. The Election Commission also has no jurisdiction to express any opinion on the question of such alleged pre-election disqualification. Cases of pre-election disqualification, i.e. disqualification existing on the date of or prior to the election can only be raised before the High Court concerned, under Article 329(b) of the Constitution and Part VI of Representation of the People Act, 1951, and not before the President under Article 103(1). The present petition is, therefore, not maintainable before the President in terms of Article 103 (1) of the Constitution. In view of the above, the Commission is also not required to go into the incongruity between the provisions of Clause (i) of Section 3 of the parent Act of 1959 and Clause (k) of that Section 3, as amended in 2006, referred to para 6 above. It is for the Union Ministry of Law & Justice to look into that matter and resolve the controversy by amending the law, if necessary.

10. The reference received from the President, in the present case, is accordingly, returned with the opinion of the Election Commission of India, under Article 103(2) of the Constitution, to the above effect that it is not maintainable under Article 103(1) of the Constitution.

Sd/- Sd/- Sd/-

(S.Y.Quraishi)
Election Commissioner

(N.Gopalaswami)
Chief Election Commissioner

(Navin B.Chawla)
Election Commissioner

Dated: 7th February, 2007.
Place: New Delhi

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.